नईदुनिया

संपादकीय

जनता पर खुदरा महंगाई की मार

भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिश है कि खुदरा महंगाई को चार फीसद से नीचे लाकर स्थिर किया जा सके, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। महंगाई के रुख को देखते हुए ही रिजर्व बैंक रेपो दर में बदलाव का कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। काफी समय से बैंक दरें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि उद्योग समूह चाहता है कि रेपो दर घटाई जाए। जून महीने में खुदरा महंगाई 5.08 फीसद दर्ज की गई, जो कि पिछले चार महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। मई महीने में महंगाई का रुख कुछ नरम दिखा था, हालांकि रिजर्व बैंक को अंदाजा था कि जून और बरसात के महीनों में खुदरा महंगाई बढ़ेगी।

रिजर्व बैंक का मानना है कि बरसात के बाद महंगाई उतार पर होगी और तब इसे स्थिर रख पाना संभव होगा। मगर यह दावा कितना सही होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी रिजर्व बैंक कई बार कह चुका है कि वह महंगाई को जल्दी ही काबू में ले आएगा। इस बार भी खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार खाद्य महंगाई बढ़ कर 9.36 फीसद पर पहुंच गई है, जो मई महीने में 8.69 फीसद थी। जून महीने में अनाज के दामों में 8.75 फीसद, फलों में 7.15 फीसद, सब्जियों के दामों में 29.32 और दालों की कीमतों में 16.07 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जमीनी स्तर पर आम उपभोक्ता को इससे कहीं अधिक बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।

बरसात के मौसम में तो कुछ कारण समझ आते हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से माल ढुलाई में बाधा आने की वजह से कई जगहों पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। कई इलाकों में पानी भर जाने से फलों और सब्जियों की फसल चौपट हो जाने के कारण भी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है। मगर जून के महीने में ऐसी स्थिति नहीं होती। आमतौर पर बाजार में गेहूं और दालों की नई फसल की उपलब्धता रहती है, इसलिए भी इनकी किल्लत का तर्क नहीं रखा जा सकता। रोजी-रोजगार के मोर्चे पर संकट के दौर से गुजर रहे लोगों के सामने अनाज, फल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों की कैसी मार पड़ रही होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

महंगाई पर काबू न पाए जा सकने के पीछे बाजार और विपणन के प्रबंधन में व्यवस्थागत कमजोरियां बड़ा कारण हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अपने यहां भरपूर होता है, उन्हें सही ढंग से बाजार तक पहुंचाने की व्यावहारिक व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। उनकी जगह पर आयातित वस्तुएं बाजार में जगह बना लेती हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं कि अक्सर किसानों को अपनी कच्ची फसलें सड़कों पर फेंकने को मजबूर होना पड़ता है। किसान मंडियों में महाजनों की मनमानी की शिकायत करते रहते हैं, पर फसलों की खरीद का व्यवस्थित इंतजाम करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। पर्याप्त भंडारगृह और शीतगृहों के न होने से भी फसलें बाजार पहुंचने से पहले बर्बाद हो जाती हैं। जब तक खाद्य वस्तुओं के प्रबंधन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक केवल बैंक दरों के जरिए महंगाई पर अंकुश लगाना कठिन बना रहेगा।

मुस्लिम महिलाओं के लिए यह फैसला ऐतिहासिक है

कोर्टयार्ड

-प्रो. मनीषा शर्मा

सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई को अहम फैसला आया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 के तहत पति से तलाक के बाद भरण पोषण पाने की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उसे फैसले को चुनौती देने वाली एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 20000 रुपये देने चाहिए। उसकी याचिका में कहा गया था कि मुझसे महिला धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है। इसलिए मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है।

क्या है मामला: अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। जस्टिस बीवी नागरत्नाऔर जस्टिस आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलायें गुजारा भत्ते के लिए कानून का इस्तेमाल कर सकती है ।

वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। ऐसा ही फैसला 1985 में शाहबानो केस में सुनाया गया था । यह फैसला शाहबानो केस की याद ताजा कर गया। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 में मुस्लिम महिलाओं को भी पति से भरण पोषण पानी का अधिकार है। उस समय कट्टरपंथी मौलवियों के विरोध, रोष और प्रदर्शन बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था और पति से गुजारा भत्ता पाने की अवधि इद्दत तक अर्थात 3 महीने सीमित कर दी थी। इद्दत एक इस्लामी परंपरा है इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। इस अवधि के पूरा होने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है।

देश की मुस्लिम महिलाओं ने जहां एक और इस फैसले का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हक में बताया वहीं दूसरी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत के विरुद्ध बताया है। इस संदर्भ में मौलानाओं का कहना है कि तलाक के बाद शरीयत में सिर्फ तीन महीने तक भरण पोषण भत्ते का अधिकार है। उसके बाद बीवी की जिम्मेदारी शौहर की नहीं बनती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि इससे बड़ा व्यापक असर हमारे समाज पर पड़ेगा। उन्होंने दलील दी कि अगर शौहर के पास पैसे नहीं है तो वह गुजारा भत्ता किस तरह दे सकता है। इसी के साथ कहा कि इससे तलाक के मामले कम होंगे और गुजारा भत्ता से बचने के लिए पुरुष तलाक नहीं लेंगे । महिलाएं शादी के बाद दोनों में नहीं बनने या किसी तरह की दिक्कत आने पर भी दर्द सहती रहेंगी और ताउम्र दर्द में रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भारी रोष है। वे इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन डालने पर विचार कर रहे है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि हमें संविधान यह हक देता है कि हम अपनी धार्मिक भावना और मान्यताओं के हिसाब से जी सकते हैं। यह हमारे धर्म को खत्म करने की साजिश है और इससे हम अदालत में चुनौती देंगे और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला शरीयत से अलग है और मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता। हम शरीयत के पाबंद है ।कमेटी ने कहा की शादी विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिक्कत पैदा करेगा। इस मामले पर बोर्ड द्वारा गठित वर्किंग कमेटी ने कहा कि जब किसी शख्स का तलाक हो गया तो फिर गुजारा भत्ता कैसे मुनासिब है।

जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को महिलाओं को अधिकार देने आगे आना चाहिए , मुस्लिम महिलाओं के हक की हर जरूरी बात करनी चाहिए वह धर्म व शरीयत के नाम पर इसका विरोध कर रहा है। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून के ऐतिहासिक फैसले की तरह इसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और हक में बताया।

शाहबानो प्रकरण में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे अपने घुटने टेक दिए थे परंतु वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार मुस्लिम महिलाओं के हित में अनेक सराहनीय कदम उठा रही है। उनके सम्मान और अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसले ले रही है। महिला चाहे हिंदू हो या मुसलमान उनकी तकलीफ , समस्या और अधिकार एक ही है। यदि एक मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है और शादी से बच्चे हैं तो वह बच्चों का भरण पोषण किस तरह करेगी? मायके वालों पर कितना निर्भर रहेगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से पति पर निर्भर होती है। ऐसे में महज इद्दत की अवधि अर्थात 3 महीने तक भरण पोषण भत्ता देकर शौहर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। यहां यह पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आधी आबादी को उसके हक एक समान रूप से दिये जाए। धर्म के आधार पर उसमें किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सभी को स्वागत करना चाहिए ना की विरोध।

चतुर्मासः व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण की अवधि

धर्म-संसार

-रमेश शर्मा

चतुर्मास में भारतीय उत्सवों में न केवल इस अवधि के परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को सक्षम बनाना है अपितु इतना समृद्ध बनाना है कि फिर वर्ष भर तक कोई परिवर्तन व्यथित न कर सकेगा। इन चार माहों की त्यौहार परंपरा का नियमन करने पर मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षमता तो आती ही है इसके अतिरिक्त उसका दृष्टिकोण सकारात्मक और सद्भाव से भरा होगा।

भारतीय वाङ्मय में चातुर्मास का विशेष महत्व है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है। इसका समापन कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को होगा। मान्यता है कि इन चार माह में भगवान नारायण पाताल लोक में विश्राम करते हैं इसलिये कोई शुभ काम नहीं होते। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि यदि चतुर्मास में कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकते तब सनातन परंपरा के सभी बड़े और महत्व पूर्ण त्यौहार जैसे गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, नागपंचमी,ऋषि पंचमी, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, संतान सप्तमी, करवा चौथ, हरियाली अमावस, पितृपक्ष, नवरात्र, दशहरा, दीवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आदि सभी बड़े त्यौहार इसी अवधि में ही आते हैं।

बड़े त्यौहारों में केवल होली है जो इस चतुर्मास की अवधि से बाहर है। यदि कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते तो बड़े बड़े त्यौहारों की शृंखला का प्रावधान इसी अवधि में क्यों किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें इन आयोजनों के विश्लेषण में मिल जाता है। चतुर्मास में जो त्यौहार होते हैं, और जिन आयोजन को या कार्यो को निषेध बताया गया है, इन दोनों का विचार करें तो हम पायेंगे कि वर्जित किये गये सभी आयोजन भले दिखने में सामूहिक लगते हों, उनका आयोजन समूह में होता हो पर वे सभी व्यक्तिगत हित के उत्सव हैं, व्यक्तिगत प्रभाव की स्थापना या प्रदर्शन के आयोजन हैं। उन आयोजनों में समाज या राष्ट्र हित निहित नहीं है। लेकिन इन चार माह में जिन त्यौहारों का प्रावधान किया गया है वे सब व्यक्ति, परिवार, समाज राष्ट्र और लोक कल्याण के हैं।

व्यक्तिगत हित या व्यक्तित्व के प्रभाव का प्रदर्शन एक बात है और व्यक्ति या व्यक्तित्व का निर्माण बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत, नये घर का निर्माण आदि कार्य केवल व्यक्ति या परिवार हित तक ही सीमित होते हैं। इनसे व्यक्तिगत संतोष और सुख तो मिलता है लेकिन परिवार का आंतरिक उत्थान नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जिन त्यौहारों के आयोजन होते हैं वे सब किसी निजीत्व के प्रदर्शन या प्रसन्नता के लिये नहीं अपितु व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सशक्तिकरण और समृद्धिकरण के निमित्त हैं। उनका उद्देश्य व्यक्ति को तन से, मन से, बुद्धि से और विवेक बल से समृद्ध बनाना है, परिवार को सशक्त बनाना है, समाज को संगठित और उन्नत बनाना है और संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में आबद्ध करना है। त्यौहारों के माध्यम से चतुर्मास की इस अवधि में व्यष्टि से समष्टि तक के एकाकार होने की यात्रा होती है। भारतीय वाङ्मय में कोई उत्सव, कोई त्यौहार अथवा कोई परंपरा यूं ही नहीं होती। उसके पीछे गहरा अनुसंधान होता है, व्यक्ति, समाज प्रकृति और सृष्टि का अध्ययन होता है। और निष्कर्ष से समाज को एकाकार किया जाता है। चतुर्मास के इन प्रावधानों में मानों शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ही नहीं अंतरिक्ष विज्ञान के निष्कर्ष को भी समाहित किया गया है। जो बात आधुनिक विज्ञान ने आज कही है उसके निष्कर्ष का क्रियान्वयन भारतीय परंपराओं के प्रचलन अनादि काल से हो रहा है। आधुनिक विज्ञान ने उन्नीसवी और बीसवी शताब्दी जाना कि मनुष्य सहित चींटी से लेकर हाथी तक संसार के सभी प्राणीं एक दूसरे के पूरक हैं। और सृष्टि की नियामक शक्ति प्रकृति है। प्रकृति से समन्वय और संतुलन बनाकर ही धरती पर जीवन समृद्ध और दीर्घ जीवी होगा। यदि प्रकृति का क्षय होगा तो किसी का जीवन नहीं बचेगा। यह बात भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोज ली थी और इसकी सावधानियां ही इस चतुर्मास के आयोजन में है। इसे अनदेखा करके दुनिया ने विकास के नाम विनाश का मार्ग पकड़ लिया है।

विज्ञान का दंभ भरने वाली दुनिया के सामने अब सत्य सामने आया है तो अब मार्ग बदलने की छटपटाहट है। लेकिन भारत ने यह सावधानी और प्रकृति से समन्वय के साथ जीवन के संचालन का प्रावधान सैकडों हजारों साल से कर रखा है। चतुर्मास में होने वाली उत्सव परंपरा में वे सभी सावधानियाँ हैं जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपना विकास तो करे पर प्रकृति का संरक्षण भी साथ साथ चले। हम जानते हैं कि प्राणी को भोजन, पानी श्वांस और आरोग्य सब प्रकृति से मिलता है। प्रकृति में जितने पदार्थ जिस अनुपात में हैं वे सब उसी अनुपात में मनुष्य देह के भीतर हैं। और यह सभी पदार्थ पांच तत्वों से बने हैं। ये तत्व धरती, आकाश अग्नि जल और पवन हैं। यदि प्रकृति में इनके अनुपात में परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव प्राणी देह पर भी पड़ता है। इन चार महीने में इन पांच तत्व के अनुपात में परिवर्तन आता है। यदि सावधानी से इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को सक्षम न किया तो यह अवधि मनुष्य को रोग ग्रस्त बना देगी।

चतुर्मास में भारतीय उत्सवों में न केवल इस अवधि के परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को सक्षम बनाना है अपितु इतना समृद्ध बनाना है कि फिर वर्ष भर तक कोई परिवर्तन व्यथित न कर सकेगा। इन चार माहों की त्यौहार परंपरा का नियमन करने पर मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षमता तो आती ही है इसके अतिरिक्त उसका दृष्टिकोण सकारात्मक और सद्भाव से भरा होगा। चतुर्मास की अवधि में उत्सव परंपरा को समझने के लिये तीन विषयों पर ध्यान देना होगा। एक मनुष्य की संरचना का रहस्य, दूसरा प्राणियों एवं वनस्पति का जीवन में उपयोगिता और तीसरा पुराणों में वर्णित कथाओं का संदेश। यदि कथाओं के रहस्य को समझेंगे तो पायेंगे कि उनमें प्रथम दोनों विन्दुओं के निष्कर्ष का समाधान है। इसके लिये हम मनुष्य को समझें। मनुष्य का व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता। जैसे चेहरा हाथ पैर त्वचा, मांस, हड्डियां, हृदय, लीवर, किडनी आदि सब देख सकते हैं पर मन, भाव विचार वृत्ति, विवेक, ज्ञान, मेधा, प्राण शक्ति आदि दिखाई नहीं देते।

आजकल

राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी

राजनीति में दो विरोधी दलों का विचारधारा और मुद्दों के स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना स्वाभाविक है। मगर वे भाषा के स्तर पर इस हद तक चले जाएं कि उससे उपजी कड़वाहट सामान्य व्यवहार और बोली तक को बुरी तरह प्रभावित करने लगे, तो यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक माहौल को भी बाधित करेगा। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की राजनीति में ऐसा माहौल बन रहा है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी दलों में मुद्दों पर उठी बात को उचित संदर्भ में देख-समझ कर एक परिपक्व राय या प्रतिक्रिया देने के बजाय दोनों पक्षों के समर्थक आपस में दुश्मन की तरह पेश आने लगते हैं।

ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक नई परिपाटी शुरू की है, जिसे कड़वाहट से भरी राजनीतिक दुनिया में एक नई बयार की तरह देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हारने के बाद से भाजपा नेता स्मृति ईरानी के लिए सोशल मीडिया पर कुछ अवांछित भाषा का प्रयोग हो रहा था। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में 'एक्स' पर लिखा कि जीवन में जीत और हार होती रहती हैज मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें।

जाहिर है, मुद्दा आधारित राजनीति के बजाय आरोप-प्रत्यारोपों में घुलती असहिष्णुता जब विषैली भाषा के रूप में सामने आने लगे और संवाद तक की गुंजाइश खत्म होने लगे तो ऐसे में अपने राजनीतिक विरोधी नेताओं के प्रति इस तरह की उदारता वक्त की जरूरत है। मगर राहुल गांधी की इस टिप्पणी को सकारात्मक संदर्भ में लेने के बजाय भाजपा के एक नेता की ओर से जैसी नकारात्मक प्रतिक्रिया आई, उसे सद्भाव के विरुद्ध ही माना जाएगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शीर्ष नेताओं की भाषा, उनके विचार और व्यवहार आम जनता के लिए एक स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रशिक्षण का काम करते हैं। नेता जैसा विचार जाहिर करते हैं, उनके समर्थकों का मानस भी वैसा ही बनता है। इस लिहाज से अपने राजनीतिक प्रतिपक्षी नेताओं के लिए शालीन भाषा का प्रयोग करने की राहुल गांधी की सलाह सद्भाव आधारित राजनीति और लोकतांत्रिक माहौल को मजबूत करने की कोशिश है।

नाथद्वारा का विश्वास स्वरूपम और पर्यटन की नई संभावना

मदन पालीवाल

राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित विश्वास स्वरूपम (स्टैच्यू ऑफ बिलीफ) पर्यटकों को लुभाने लगा है। दो साल पहले नवंबर में उद्घाटन के बाद से अब तक 15 लाख से अधिक पर्यटक यहां पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद ले चुके हैं। यहां भगवान शिव की यह 369 फीट ऊंची मूर्ति है। यह केंद्र तेजी से प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में उभर रहा है। नाथद्वारा झीलों की नगरी उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। राजसमंद के नाथद्वारा के आसपास का इलाका प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। अरावली पर्वतमाला के पास बनास नदी के किनारे पर बसे इस नाथद्वारा को श्रीनाथजी नाथद्वारा के नाम से ही जाता जाता है। श्रीनाथजी के मंदिर की वजह से आज नाथद्वारा की पहचान केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी है।

यह जानना भी दिलचस्प होगा कि यह मूर्ति दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह 32 एकड़ में फैली हुई है और कुल ऊंचाई 112 मीटर (34 मीटर आधार सहित) है। इसे 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट से बनाया गया है। इस मूर्ति का जीवनकाल लगभग 250 वर्ष अनुमानित है। इसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं को आसानी से झेलने और भूकंपीय क्षेत्र चतुर्थ में भी स्थिर रहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रतिमा में 270 फीट और 280 फीट की ऊंचाई पर दीर्घाएं हैं।

यहां पर्यटक 351 फीट की ऊंचाई पर जाकर जलाभिषेक और भू-स्तर पर चरणवंदना कर सकते हैं। साथ ही स्नो पार्क, वैक्स म्यूजियम व गेम जोन में वे मनोरंजन भी कर सकते हैं।

यहां रोमांच बढ़ाने के लिए 20 फीट की ऊंचाई पर एक नया अनोखा 3डी अनुभव

आत्ममंथन शुरू किया गया है। इस आकर्षण में 17 अलग-अलग विशेष प्रकार की दीर्घाएं हैं। यह दीर्घाएं प्रकृति के विभिन्न तत्वों से प्रेरित है। कुछ में पांच तत्वों- वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, और ब्रह्माण्ड दर्शन का अन्वेषण किया गया है। कुछ पौराणिक कथाओं जैसे समुद्र मंथन और कल्पतरु वृक्ष से प्रेरित हैं। क्रिस्टल टेरेन, द काइनेसिस ऑफ बिलीफ और ओम बेल जैसी दीर्घाएं गहन और परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करती हैं। कैलास मानसरोवर और टनल टू इटरनिटी जैसी दीर्घाएं आत्मावलोकन और आत्मज्ञान को प्रेरित करती हैं।

मिराज समूह इसे अब वैश्विक आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में प्रयासरत है। खास बात यह है कि मेवाड़ इलाके के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित जगप्रसिद्ध श्रीनाथजी देशभर में आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। श्रीनाथजी नाथद्वारा में हवेली में विराजते हैं। यह हवेली श्रीनाथजी की हवेली के रूप में जानी जाती है। इसे मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह ने बनवाया गया था। मेवाड़ में श्रीनाथजी की पूजा बाल स्वरूप के रूप में की जाती है। यहां पर दिन में करीब आठ बार भगवान की अलग-अलग रूपों में पूजा अर्चना होती है। श्रीनाथजी को लेकर कई किवदंतियां प्रचलन में हैं। श्रीनाथजी की इस हवेली के निर्माण से मुगल शासक औरंगजेब से सीधा संबंध रहा है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब औरंगजेब देश के हिंदू मंदिरों को तुड़वा रहा था तब मथुरा में बनाई गई मूर्तियों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया। उन्हीं में से एक श्रीकृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्ति मेवाड़ के श्रीनाथजी मंदिर में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब से मूर्ति की रक्षा का वचन दिया था। यहां कृष्ण जन्मोत्सव पर रात ठीक 12 बजे प्रभु श्रीनाथजी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर उनके जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। यहां प्रभु श्रीनाथजी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है।

विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी श्रीनाथजी के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। मेवाड़ की पावन धरा पर पहुंचने वाले लगभग सभी लोग श्रीनाथजी के दर्शन किए बगैर यहां से नहीं जाते हैं।